रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 2001/आषाढ़ 5, 1923

No. 326] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 2001/ASADHA 5, 1923

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2001

सं. 69/2001-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 461(अ).— सऊदी अरब, ईरान, जापान, फ्रांस मे उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष स. 2815.11 एव 2815.12 के अंतर्गत आने वाले सोडियम हाइड्रोसाइड जिसे कास्टिक सोडा नाम से जाना जाता है आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 16 नवम्बर , 2000 म प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुचे थे कि–

(क) विषयगत देशों में उत्पादित या वहा से निर्यात किए गए सोडियम हाइड्रोसाइड जिसे कास्टिक सोडा नाम से जाना जाता है का भारत में निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है ,

(ख) भारतीय उद्योग को बिक्री की कम कीमत जो विषयगत माल के पाटित आयातों के कम कीमत के कारण है, जो हुई वित्तीय घाटे से तात्विक क्षति पहुंची है ;

(ग) विषयगत देशों से विषयगत माल के संचयी आयातों के पाटन द्वारा क्षति कारित हुई है,

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख दिसम्बर, 2000 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 153/2000–सीमाशुल्क तारीख 26 दिसम्बर, 2000 (सा0का0नि0 933 (अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2000) द्वारा प्रतिपाटन शुल्क आरोपित किया था,

और अभिहित प्राधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 14 मई, 2001 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि–

(क) विषयगत देशों में उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए सोडियम हाइड्रोसाइड जिसे कास्टिक सोडा नाम से जाना जाता है का भारत में निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है ;

(ख) भारतीय उद्योग को बिक्री की गई कीमत जो विषयगत माल के पाटित आयातों के कम कीमत के कारण है, जो हुई वित्तीय घाटे से तात्विक क्षति पहुंची है ;

(ग) विषयगत देशों से विषयगत माल के सचयी आयातो के पाटन द्वारा क्षति कारित हुई है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम 1995 के नियम 18 और नियम 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनयम की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर सारणी के स्तंभ (2) मे किये गये देश मे उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 2815.11 एवं 2815.12 के अंतर्गत आने वाले सोडियम हाइड्रोसाइड जिसे कास्टिक सोडा नाम से जाना जाता है पर और उस समय जब वह नीचे सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित निर्यातकों द्वारा निर्यात किया जाए और भारत मे आयात किया जाए, प्रतिपाटित शुल्क ऐसा दर पर अधिरोपित करती है जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित रकम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फेट के ऐसे निर्यात पर प्रति मीट्रिक टन के अवतरण मूल्य के बीच अन्तर के रूप में संगणित की जाएगी ।

सारणी

क्रम सं.	देश / क्षेत्र	निर्यातकर्ता का नाम	रकम (प्रति मीट्रिक टन अमरीकन डालर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	(क) मैसर्स डो केमिकल कं0	319.4
		(ख) सभी अन्य उत्पादक / निर्यातक	319.4
2.	फ्रांस	सभी निर्यातक / उत्पादक	309.4
3.	ईरान	सभी निर्यातक / उत्पादक	319.4
4	जापान	सभी निर्यातक / उत्पादक	319.4
5.	सऊदी अरब	(क) उत्पादक एसएडीएएफ के साथ एसएबीआईसी निर्यातक	266.9
		(ख) सभी अन्य निर्यातक / उत्पादक	305.8

2 इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की तारीख अर्थात् 26 दिसम्बर, 2000 से उदगृहीत किया जाएगा और भारतीय करेंसी में संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:-- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "अवतरण मूल्य" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन यथा अवधारित निर्धारण मूल्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, धारा 3क, धारा 8ख, धारा 9 और 9क के अधीन उद्ग्रहीत शुल्को को छोड़कर, सभी सीमाशुल्के सम्मिलित हैं;

(ख) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनो के लिए लागू "विनिमय की दर" वह दर होगी जिसे उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट किया गया है और "विनिमय की दर" के अवधारण के लिए सुसगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन "प्रवेश पत्र" के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा. सं. 354/201/2000-टी.आर.यू. (भाग-II)]

जी. डी. लोहानी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2001

No. 69/2001-CUSTOMS

G.S.R. 461(E).— WHEREAS in the matter of import of Sodium Hydroxide, commonly known as Caustic Soda, falling under sub-heading Nos. 2815.11 and 2815.12 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from Saudi Arabia, Iran, Japan, the United States of America and France, the designated authority *vide* its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 16th November, 2000, had come to the conclusion that -

(a) Sodium Hydroxide, in all forms, originating in, or exported from, subject countries, has been exported to India below its normal value;

(b) the domestic industry has suffered material injury by way of financial losses due to depressed net sales realization on account of price depression caused by low landed prices of the dumped subject goods; and

(c) the injury has been caused to the domestic industry by the dumping of subject goods, originating in, or exported from, the subject countries;

AND WHEREAS on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 153/2000–Customs, dated the 26th December, 2000, [G.S.R. 933(E), dated the 26th December, 2000] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 26th December, 2000;

AND WHEREAS the designated authority *vide* its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 14th May, 2001 has come to the conclusion that -

(a) Caustic Soda, originating in, or exported from Saudi Arabia, Iran, Japan, the United States of America and France has been exported to India below normal value, resulting in dumping;

(b) the Indian industry has suffered material injury;

(c) the injury has been caused by imports from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, and rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on said Sodium Hydroxide, commonly known as Caustic Soda, falling under sub-heading Nos. 2815.11 and 2815.12 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from the countries specified in column (2) of the Table annexed hereto, and exported by exporters specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, and imported into India, an anti-dumping duty at the rate which shall be calculated as the difference between the amount mentioned in the corresponding entry column (4) of the said Table and the landed value of such imported Sodium Hydroxide per metric tonne.

TABLE

S.No.	Name of the Country	Name of the Exporter/Producer	Amount (in US dollar per metric tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	United States of America	(a) M/s Dow Chemical Co.	319.4
		(b) All other producer/exporter	319.4
2	France	All exporters/producers	309.4
3	Iran	All exporters/producers	319.4
4	Japan	All exporters/producers	319.4
5	Saudi Arabia	(a) Producer SADAF with SABIC as the exporter	266.9
		(b) All other exporters/producers	305.8

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied with effect from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, i.e. the 26th December, 2000, and shall be paid in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, -

(a) "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of Customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Customs Tariff Act;

(b) "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the said Customs Act, and the relevant date for the determination of the rate of exchahge shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/201/2000-TRU (Pt-II)]
G. D. LOHANI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2001

सं. 70/2001-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 462(अ).— चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 2936.92 के अंतर्गत आने वाले स्ट्रान्शियम कार्बोनेट आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, तारीख 15 नवम्बर, 2000 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि—

(क) चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए स्ट्रान्सियम कार्बोनेट सभी रूपों में, का भारत में निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है ;

(ख) भारतीय उद्योग को बाजार के हिस्से में कमी एवं बिक्री की कीमत में कमी, जो कम आयातित मूल्यों के कारण है, से वित्तीय हानि द्वारा तात्विक क्षति पहुंची है ,

(ग) विषयगत देश से पाटित विषयगत माल के संचयी आयातों द्वारा क्षति कारित हुई है;

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 26 दिसम्बर, 2000 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 154/2000–सीमाशुल्क तारीख 26 दिसम्बर, 2000 (सा.का.नि. 934 (अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2000) द्वारा प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था,

और अभिहित प्राधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 1 मार्च, 2001 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि–

(क) चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए स्ट्रान्सियम कार्बोनेट सभी रूपों में, जब भारत में निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है ;

(ख) घरेलू उद्योग को बाजार के हिस्से में कमी एवं बिक्री की कीमत में कमी, जो कम आयातित मूल्यों के कारण है, से वित्तीय हानि तात्विक क्षति हुई है ;

(ग) यह क्षति चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात द्वारा कारित हुई है;

अत अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम 1995 के नियम 18 और नियम 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 2936.92 के अंतर्गत आने वाले स्ट्रान्सियम कार्बोनेट सभी रूपों में पर उस समय जब वह भारत में आयात किया जाए, प्रतिपाटित शुल्क 213.37 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन की दर पर अधिरोपित करती है ।

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की तारीख अर्थात् 26 दिसम्बर, 2000 से उदगृहीत किया जाएगा और भारतीय करेंसी में संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:– इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू " विनिमय की दर " वह दर होगी जिसे उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय–समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है और " विनिमय की दर " के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन " प्रवेश पत्र " के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा. सं. 354/202/2000–टी.आर.यू. (भाग–II)]

जी. डी. लोहानी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2001

No. 70/2001-CUSTOMS

G.S.R. 462(E).— WHEREAS in the matter of import of Strontium Carbonate, falling under sub-heading No. 2836.92 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People's Republic of China, the designated authority *vide* its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 15th November, 2000, had come to the conclusion that -

(a) Strontium Carbonate, in all forms, originating in, or exported from, the People's Republic of China, has been exported to India below its normal value;

(b) the domestic industry has suffered material injury by way of decline in its market share and financial losses due to depressed net sales realization on account of price depression caused by low landed prices of the dumped subject goods;

(c) the injury has been caused to the domestic industry by dumping of subject goods originating in, or exported from, the subject country;

AND WHEREAS on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 154/2000–Customs, dated the 26th December, 2000, [G.S.R. 934(E), dated the 26th December, 2000] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 26th December, 2000;

AND WHEREAS the designated authority *vide* its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 15th June, 2001 has come to the conclusion that -

(a) Strontium Carbonate, in all forms, originating in, or exported from, the People's Republic of China has been exported to India below its normal value;

(b) The domestic industry has suffered material injury by way of decline in its market share and financial losses due to depressed net sales realization on account of price depression caused by low landed prices of the dumped subject goods;

(c) The injury has been caused by dumping of subject goods originating in or exported from the People's Republic of China.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, and rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on said Strontium carbonate, falling under sub-heading No. 2836.92 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the People's Republic of China, and imported into India, an anti-dumping duty at the rate of US $ 213.37 per metric tonne.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied with effect from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, i.e. the 26th December, 2000; and shall be paid in Indian currency.

Explanation - For the purposes of this notification, "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, (52 of 1962) and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/202/2000-TRU (Pt-II)]
G. D. LOHANI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2001

सं. 71/2001-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 463(अ).—यूरोपीय सघ मे उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए सीमाशुल्क टैरिफ आधोनेयम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 2921.41 के अतर्गत आने वाले एनीलिन के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 21 नवम्बर, 2000 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि–

(क) यूरोपीय संघ में उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए एनीलिन का भारत में निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है ,

।ख। भारतीय उद्योग को तात्विक क्षति पहुंची है ;

।ग। यह क्षति यूरोपीय सघ से आयातो द्वारा क्षति कारित हुई है;

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उपखंड (i), तारीख 26 दिसम्बर, 2000 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मत्रालय ।राजस्व विभाग। की अधिसूचना सं0 155/2000—सीमाशुल्क तारीख 26 दिसम्बर, 2000 ।सा0का0नि0 935 ।अ।, तारीख 26 दिसम्बर, 2000। द्वारा प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था,

और अभिहित प्राधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 28 मई, 2001 में प्रकाशित अपने अतिम निष्कर्षों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि—

।क। यूरोपीय संघ में उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए एनीलिन का भारत में निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है ,

।ख। घरेलू उद्योग को तात्विक क्षति हुई है ,

।ग। यह क्षति यूरोपीय संघ से आयातों द्वारा कारित हुई है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा ।5। और सीमाशुल्क टैरिफ ।पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण। नियम 1995 के नियम 18 और नियम 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनयम की धारा 9क की उपधारा ।1। और उपधारा ।5। द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान एवं यूरोपीय संघ में उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 2921.41 के अंतर्गत आने वाले एनीलिन पर भारत में आयात किया जाए, प्रतिपाटित शुल्क 0.342 अमरीकी डालर प्रति किलो ग्राम की दर पर अधिरोपित करती है ।

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की तारीख अर्थात् 26 दिसम्बर, 2000 से उदगृहीत किया जाएगा और भारतीय करेंसी में संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरणः— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू " विनिमय की दर " वह दर होगी जिसे उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ।2। के खंड ।क। के उपखंड ।i। के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय—समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ।राजस्व विभाग। की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है और " विनिमय की दर " के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन " प्रवेश पत्र " के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा. सं. 354/203/2000-टी.आर.यू. (भाग-II)]

जी. डी. लोहानी, अवर सचिव

2006GI/2001-3

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2001

No. 71/2001-CUSTOMS

G.S.R. 463(E).— WHEREAS in the matter of import of Aniline falling under sub-heading No. 2921.41 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the European Union, the designated authority, *vide* its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 21st November, 2000, had come to the conclusion that -

(a) Aniline, originating in, or exported from, the European Union, has been exported to India below normal value, resulting in dumping;

(b) the Indian industry has suffered material injury;

(c) the injury has been caused by the imports from the European Union;

AND WHEREAS on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 155/2000–Customs, dated the 26th December, 2000, [G.S.R. 935(E), dated the 26th December, 2000] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 26th December, 2000;

AND WHEREAS the designated authority *vide* its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th May, 2001 has come to the conclusion that -

(a) Aniline, originating in, or exported from, the European Union has been exported to India below its normal value, resulting in dumping;

(b) the Indian industry has suffered material injury;

(c) the injury has been caused by imports from the European Union;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, and rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on said Aniline, falling under sub-heading No. 2921.41 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the European Union, and imported into India, an anti-dumping duty at the rate of US $ 0.342 per kilogramme.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied with effect from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, i.e. the 26th December, 2000, and shall be paid in Indian currency.

Explanation - For the purposes of this notification, "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, (52 of 1962) and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/203/2000-TRU (Pt-II)]

G. D. LOHANI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.